

C.1/2
05/02/18

समाहरणालय-औरंगाबाद

(विशेष भू-अर्जन प्रशाखा)

अधिसूचना

उचित प्रतिकर का अधिकार एवं भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनः बन्दोबस्त में पारदर्शिता अधिनियम 2013 के अध्याय-II धारा-04 के आलोक में समाजिक प्रभाव एवं सार्वजनिक उद्देश्य का अभिनिर्धारण के लिए प्रारंभिक अन्वेषण हेतु पुनपुन बराज परियोजना के अंतर्गत पुनपुन दायों मुख्य नहर हेतु भू-अर्जन किया जाना है, जिसके लिए अनुग्रह नारायण सिन्हा, समाज अध्ययन संस्थान, पटना को समाजिक प्रभाव आक्कलन हेतु अधिसूचित किया जाता है।

भू-अर्जन अधिनियम-2013 के नियम-4 (2) के आलोक में निर्गत अधिसूचना पंचायत कार्यालय, अंचल कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय एवं जिला स्तर पर प्रकाशित की जाएगी तथा समुचित सरकार (समाहर्ता, औरंगाबाद) के वेबसाईट पर अपलोड (प्रकाशित) की जायेगी।

समाजिक प्रभाव आक्कलन अध्ययन पूरा करने के क्रम के चरण में पंचायत/ग्राम सभा के प्रतिनिधि को प्रयाप्त प्रतिनिधित्व प्रदान किया जायेगा।

समाजिक प्रभाव आक्कलन का अध्ययन भू-अर्जन अधिनियम-2013 के अध्याय-II के धारा-4 एवं 5 में वर्णित सभी विन्दुओं के आलोक में की जायेगी।

अर्जनाधीन भूमि का विवरण निम्नवत् है:-

क्रमांक	मौजा का नाम	थाना	थाना नं०	अंचल	जिला
01.	तेयाप	दाउदनगर	259	गोह	औरंगाबाद

उपरोक्त ग्राम में भू-अर्जन हेतु अधियाची पदाधिकारी द्वारा समर्पित अधियाचना प्लान में चिंहित खेसराओं के अनुसार अधियाचना प्लान एवं भूमि की विवरणी संलग्न।

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी,
सोन योजना, औरंगाबाद।

अपर समाहर्ता,
औरंगाबाद।

समाहर्ता
औरंगाबाद।

ज्ञापांक- 333 / औरंगाबाद, दिनांक- 27-01-18

प्रतिलिपि:- निदेशक, अनुग्रह नारायण सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान, पटना को सूचनार्थ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि अध्ययन संबंधी प्रतिवेदन ससमय देना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि:- मुखिया, ग्राम पंचायत राज, तेयाप को सूचनार्थ पंचायत कार्यालय में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अंचल अधिकारी, गोह को सूचनार्थ एवं सूचनापट्ट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अनुमंडल, पदाधिकारी, दाउदनगर को सूचनार्थ एवं सूचनापट्ट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- वरीय उपसमाहर्ता, जिला सामान्य शाखा, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं सूचनापट्ट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रभारी आई0टी0 मैनेजर, आई0टी0 कोषांग, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं वेबसाईट पर अपलोड (प्रकाशित) करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, पुनपुन बराज प्रमंडल, गोह, 01 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आयुक्त के सचिव, मगध प्रमंडल, गया को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अपर सचिव-सह-निदेशक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, जल संसाधन विभाग, विहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी,
सोन योजना, औरंगाबाद।

अपर समाहर्ता,
औरंगाबाद।

समाहर्ता
औरंगाबाद।

समाहरणालय-औरंगाबाद

(विशेष भू-अर्जन प्रशाखा)

अधिसूचना

उचित प्रतिकर का अधिकार एवं भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनः बन्दोबस्त में पारदर्शिता अधिनियम 2013 के अध्याय-II धारा-04 के आलोक में समाजिक प्रभाव एवं सार्वजनिक उद्देश्य का अभिनिर्धारण के लिए प्रारंभिक अन्वेषण हेतु पुनपुन बराज परियोजना के अंतर्गत पुनपुन दायों मुख्य नहर हेतु भू-अर्जन किया जाना है, जिसके लिए अनुग्रह नारायण सिन्हा, समाज अध्ययन संस्थान, पटना को समाजिक प्रभाव आक्कलन हेतु अधिसूचित किया जाता है।

भू-अर्जन अधिनियम-2013 के नियम-4 (2) के आलोक में निर्गत अधिसूचना पंचायत कार्यालय, अंचल कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय एवं जिला स्तर पर प्रकाशित की जाएगी तथा समुचित सरकार (समाहर्ता, औरंगाबाद) के वेबसाईट पर अपलोड (प्रकाशित) की जायेगी।

समाजिक प्रभाव आक्कलन अध्ययन पूरा करने के क्रम के चरण में पंचायत/ग्राम सभा के प्रतिनिधि को प्रयाप्त प्रतिनिधित्व प्रदान किया जायेगा।

समाजिक प्रभाव आक्कलन का अध्ययन भू-अर्जन अधिनियम-2013 के अध्याय-II के धारा-4 एवं 5 में वर्णित सभी विन्दुओं के आलोक में की जायेगी।

अर्जनाधीन भूमि का विवरण निम्नवत् है:-

क्रमांक	मौजा का नाम	थाना	थाना नं0	अंचल	जिला
01.	अरण्डा	दाउदनगर	254	गोह	औरंगाबाद

उपरोक्त ग्राम में भू-अर्जन हेतु अधियाची पदाधिकारी द्वारा समर्पित अधियाचना प्लान में चिह्नित खेसराओं के अनुसार अधियाचना प्लान एवं भूमि की विवरणी संलग्न।

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी,
सौन योजना, औरंगाबाद।

अपर समाहर्ता,
औरंगाबाद।

समाहर्ता,
औरंगाबाद।

ज्ञापांक-334/औरंगाबाद, दिनांक-27-01-18/

प्रतिलिपि:- निदेशक, अनुग्रह नारायण सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान, पटना को सूचनार्थ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि अध्ययन संबंधी प्रतिवेदन ससमय देना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि:- मुखिया, ग्राम पंचायत राज, उपहारा को सूचनार्थ पंचायत कार्यालय में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अंचल अधिकारी, गोह को सूचनार्थ एवं सूचनापट्ट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अनुमंडल, पदाधिकारी, दाउदनगर को सूचनार्थ एवं सूचनापट्ट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- वरीय उपसमाहर्ता, जिला सामान्य शाखा, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं सूचनापट्ट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रभारी आई0टी0 मैनेजर, आई0टी0 कोषांग, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं वेबसाईट पर अपलोड (प्रकाशित) करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, पुनपुन बराज प्रमंडल, गोह, 01 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आयुक्त के सचिव, मगध प्रमंडल, गया को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अपर सचिव-सह-निदेशक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी,
सौन योजना, औरंगाबाद।

अपर समाहर्ता,
औरंगाबाद।

समाहर्ता,
औरंगाबाद।

समाहरणालय-औरंगाबाद

(विशेष भू-अर्जन प्रशाखा)

अधिसूचना

उचित प्रतिकर का अधिकार एवं भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनः बन्दोबस्त में पारदर्शिता अधिनियम 2013 के अध्याय-II धारा-04 के आलोक में समाजिक प्रभाव एवं सार्वजनिक उद्देश्य का अभिनिर्धारण के लिए प्रारंभिक अन्वेषण हेतु पुनपुन बराज परियोजना के अंतर्गत पुनपुन दायों मुख्य नहर हेतु भू-अर्जन किया जाना है, जिसके लिए अनुग्रह नारायण सिन्हा, समाज अध्ययन संस्थान, पटना को समाजिक प्रभाव आकलन हेतु अधिसूचित किया जाता है।

भू-अर्जन अधिनियम-2013 के नियम-4 (2) के आलोक में निर्गत अधिसूचना पंचायत कार्यालय, अंचल कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय एवं जिला स्तर पर प्रकाशित की जाएगी तथा समुचित सरकार (समाहर्ता, औरंगाबाद) के वेबसाईट पर अपलोड (प्रकाशित) की जायेगी।

समाजिक प्रभाव आकलन अध्ययन पूरा करने के क्रम के चरण में पंचायत/ग्राम सभा के प्रतिनिधि को प्रयाप्त प्रतिनिधित्व प्रदान किया जायेगा।

समाजिक प्रभाव आकलन का अध्ययन भू-अर्जन अधिनियम-2013 के अध्याय-II के धारा-4 एवं 5 में वर्णित सभी विन्दुओं के आलोक में की जायेगी।

अर्जनाधीन भूमि का विवरण निम्नवत् है:-

क्रमांक	मौजा का नाम	थाना	थाना नं०	अंचल	जिला
01.	लोदीपुर	दाउदनगर	258	गोह	औरंगाबाद

उपरोक्त ग्राम में भू-अर्जन हेतु अधियाची पदाधिकारी द्वारा समर्पित अधियाचना प्लान में चिह्नित खेसराओं के अनुसार अधियाचना प्लान एवं भूमि की विवरणी संलग्न।

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी,
सोन योजना, औरंगाबाद।

अपर समाहर्ता,
औरंगाबाद।

समाहर्ता,
औरंगाबाद।

ज्ञापांक- 337 / औरंगाबाद, दिनांक- 30-01-18 /

प्रतिलिपि:- निदेशक, अनुग्रह नारायण सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान, पटना को सूचनार्थ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि अध्ययन संबंधी प्रतिवेदन ससमय देना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि:- मुखिया, ग्राम पंचायत राज, उपहारा को सूचनार्थ पंचायत कार्यालय में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अंचल अधिकारी, गोह को सूचनार्थ एवं सूचनापट्ट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अनुमंडल, पदाधिकारी, दाउदनगर को सूचनार्थ एवं सूचनापट्ट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- वरीय उपसमाहर्ता, जिला सामान्य शाखा, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं सूचनापट्ट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रभारी आई0टी0 मैनेजर, आई0टी0 कोषांग, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं वेबसाईट पर अपलोड (प्रकाशित) करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, पुनपुन बराज प्रमंडल, गोह, 01 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आयुक्त के सचिव, मगध प्रमंडल, गया को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अपर सचिव-सह-निदेशक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी,
सोन योजना, औरंगाबाद।

अपर समाहर्ता,
औरंगाबाद।

समाहर्ता,
औरंगाबाद।

